राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

क्रमांक : एफ.2(7099)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/03597/2020 जयपुर,दिनांक 21.08.2020

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों द्वारा अग्रिम अध्ययन हेतु पत्राचार/दूरस्थ माध्यम से प्रवेश की अनुमति चाही गई है। निम्नलिखित सूचना सहायको द्वारा अग्रिम अध्ययन की परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है :–

क्र.स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1.	794	श्री पारस राम	कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला, बीकानेर	MCA	JNU, Jaipur
2.	2057	श्री प्रवीण कुमार	कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि.) भरतपुर	B. Lib	VMOU, Kota
3.	4357	श्री प्रमोद कुमार	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर	MCA	JNU, Jaipur
4.	2018 Batch	सुश्री/श्रीमती पूनम कुमारी	कार्यालय सहायक कलक्टर, उच्चैन, भरतपुर	M.Sc. (CS)	VMOU, Kota
5.	2018 Batch	श्री नितेश कुमार खटीक	जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, चित्तोड़गढ़	MA (Geography)	VMOU, Kota
6.	2018 Batch	श्री पार्थ शर्मा	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर	MCA	JNU, Jaipur
7.	2018 Batch	श्री निलेन्द्र	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर	MCA	JNU, Jaipur
8.	2018 Batch	सुश्री/श्रीमती नेहा मीणा	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर	MCA	JNU, Jaipur
9.	2018 Batch	सुश्री/श्रीमती प्रियंका रोत	कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर	M.Sc. (CS)	VMOU, Kota

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

—Sd—
(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. संबधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड़ हेतु।

21/08/2020
प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)